अति–आवश्यक
महत्तवपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक–3/प.क./सेल–3/2018/624 भोपाल, दिनांक 7-06-2018

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– जिले में कार्यरत बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– संचालनालय के पत्र कमांक–3/प.क./सेल–3/2018/ 157 दिनांक 15.02.2018

//00//

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके बिन्दु कमांक 02 पर स्पष्ट लेख है कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित किये जाने हेतु वरिष्ठ स्तर पर लिये गये विभागीय निर्णय अनुसार ए.एन.एम. की पदस्थापना केवल उप स्वास्थ्य केन्द्र में ही की जाना हैं। नियुक्ति आदेश में किसी भी ए.एन.एम. की पदस्थापना में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन आपके स्तर से न किया जावें। इसी प्रकार बिन्दु कमांक 03 पर लेख है कि परीविक्षा अवधि में कार्यरत ए.एन.एम. का स्थानांतरण पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में पूर्व में भी संचालनालय के परिपत्र कमांक/2/अवि./सेल–वि.स./2016/926–एस दिनांक 29.09.2016 एवं कमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2017/710–बी दिनांक 29.07.2017 निर्देश जारी किये गये है।

प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नवनियुक्त ए.एन.एम. के मुख्यालय परिवर्तन किये गये हैं जो कि वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशो की अवहेलना की परिधि में आता है। जैसा कि आपको विदित है कि प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यार्थियों की काउंसलिंग एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से कराई जाकर उनकी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किये जाने हेतु आवंटन आपको उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुरूप आपके द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि परिवीक्षा अवधि में जिले में कार्यरत किसी भी बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के पदस्थापना स्थल में परिवर्तन/संशोधन

निरंतर...............2

न किया जावे तथा पूर्व से पदस्थ ए.एन.एम. का जिला स्तर पर किये जाने वाले स्थानांतरण के दौरान उनका स्थानांतरण केवल उप स्वास्थ्य केन्द्र से उप स्वास्थ्य केन्द्र में ही किया जावे, अन्यत्र नहीं जिससे उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. की उपस्थिति बनी रहे तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित न हों।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यदि किसी जिले में निर्देशो के विपरीत आदेश जारी किये गये है तो उन्हें तत्काल निरस्त कर सभी संबंधित ए.एन. एम. को मूल पदस्थापना स्थल पर कार्य करने हेतु निर्देशित करें। इसके उपरांत किसी भी जिले में निर्देशो की अवहेलना पाई जाती है तो इस बाबत् संबंधित ए.एन.एम. को किये गये वेतन भुगतान की प्रतिपूर्ति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के वेतन भत्ते से की जावेगी। इस बाबत् किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

(डॉ0 पल्लवी जैन गोविल)
वि.क.अ. सह आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ0 कमांक–3/प.क./सेल–3/2018/625
भोपाल, दिनांक 7-06-2018

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
6. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय।
8. संयुक्त संचालक, परिवार कल्याण, स्थानीय कार्यालय।
9. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. समस्त उप संचालक, स्थानीय कार्यालय।
11. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।

वि.क.अ. सह आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश